प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 07.02.2026

स्वाट टीम, क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत चलाये जा रहे अभियान मे 3 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 03 अदद नाजायज पिस्टल .32 बोर ,03 अदद जिन्दा कारतूस मय मैगजीन व 01 काले रंग की स्कॉर्पियों एन गाडी बरामद ।

पुलिस आयुक्त कमिश्नेनट गाजियाबाद के द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत अपर पुलिस उपायुक्त अपराध, के नेतृत्व में स्वाट टीम, क्राईम ब्रान्च व थाना वेव सिटी पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही मे दिनांक 06.02.2026 को ऑपरेशन प्रहार के तहत मुखबिर की सूचना पर थाना वेव सिटी क्षेत्र से 03 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता अर्जित की गयी, गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से 03 अदद पिस्टल .32 बोर नाजायज,03 जिन्दा कारतूस मय मैगजीन व एक काले रंग की स्कॉर्पियो एन गाडी बरामद की गयी। अभियुक्तो के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही थाना वेव सिटी से की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब हम तीनो लोगो ने यह असलाह (पिस्टल) कुछ समय पहले प्रिन्स निवासी मरियम नगर व गोलू निवासी संजय नगर गाजियाबाद से खरीदी थी पहले भी हम लोग इन लोगो से अस्लाह (पिस्टल,तमंचे) खरीद कर अन्य जगहो पर अच्छे दामो मे बेच चुँके है आज भी हम तीनो इन अस्लाह (पिस्टलो) को अच्छे दाम मिलने पर बेचने के लिए गाड़ी से छिपते छिपाते जा रहे थे।

अभियुक्त का नाम व पता

1.ऋषिक त्यागी पुत्र संदीप त्यागी निवासी राज पब्लिक स्कूल के पास गली न0 3 घुकना सिहानी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष

2.पवन कुमार पुत्र अवधेश कुमार वर्मा निवासी सैक्टर 34 गांव होशियारपुर थाना गली न0 1 गौतमबुद्ध नगर मूल निवासी गांव मोदीनपुर थाना रामकोट जिला सीतापुर उम्र करीब 26 वर्ष

3.आदित्य राय पुत्र राकेश कुमार राय निवासी म0 न0 48 गली न0 2 फातिमा स्कूल के पास सिहानी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास – 1. अभियुक्तगणो के विरुद्ध थाना वेव सिटी पर मु0अ0स0 0031/2026 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत है

अभियुक्तो के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध मे जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1.नाजायज देशी पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन 03 अदद व 03 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर

2.गाड़ी स्कॉर्पियों एन रंग काला रजिस्ट्रेशन नम्बर-UP 14 GS 4313

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.स्वाट टीम, क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.थाना वेव सिटी पुलिस टीम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाले महिला अभियुक्ता सहित 02 गिरफ्तार , दोनो के कब्जे से कुल 02 किलो 236 ग्राम अवैध गांजा, 257900/- रुपये नगद बरामद ।

आज दिनांक 07.02.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध गांजा की तस्करी करने वाली अभियुक्ता (1) ममता पत्नी गजेन्द्र सिंह निवासी गाँव मारकपुर थाना बाबूगढ जनपद हापुड हाल पता किराये का मकान गली न0 08 भीमनगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष व अभियुक्त (2) दिनेश कुमार पुत्र रामबीर सिह निवासी शाहपुर जट थाना बाबूगढ जनपद हापुड हाल पता किराये का मकान गली न0 08 भीमनगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष को मौ0 भीमनगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 02 किलो 236 ग्राम अवैध गांजा व गांजा की बिक्री के 257900/- रुपये, इलेक्ट्रोनिक तराजू व 02 मोबाइल फोन बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, अभियुक्तो के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तो ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि हम लोग मौ0 भीमनगर मे किराये के मकान मे रहते है तथा ममता का पति गजेन्द्र सिंह किसी अज्ञात व्यक्ति से कम दामो पर गांजा खरीदकर लाता है, गजेन्द्र को वह व्यक्ति हाईवे पर कही गांजा देता है। हम लोग गांजे को छोटी छोटी पुडिया बनाकर लाल क्वाटर्स व सुदामापुरी के आस पास रहने वाले गांजा पीने वाले लोगो को गांजा बेच कर अच्छा मुनाफा कमा लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

(1) ममता पत्नी गजेन्द्र सिंह निवासी गाँव मारकपुर थाना बाबूगढ जनपद हापुड हाल पता किराये का मकान गली न0 08 भीमनगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष।

(2) दिनेश कुमार पुत्र रामबीर सिह निवासी शाहपुर जट थाना बाबूगढ जनपद हापुड हाल पता किराये का मकान गली न0 08 भीमनगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

02 किलो 236 ग्राम अवैध गांजा, गांजा की ब्रिकी के 257900/- रुपये, गांजा को तौलने के लिए 01 इलेक्ट्रोनिक तराजू व 02 मोबाइल फोन।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तो के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त दिनेश कुमार उपरोक्त के विरुद्ध थाना बाबूगढ जनपद हापुड पर चोरी के सम्बन्ध मे 02 अभियोग व 01 अभियोग गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित कुल 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई आजीवन कारावास व 01 लाख 06 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी तत्कालीन थाना प्रभारी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद द्वारा की गयी उच्च गुणवत्ता पूर्ण विवेचना एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री नितिन शर्मा द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 302/323/506 भादवि में अभियुक्त शमशाद उर्फ राजू पुत्र नसीबशाह निवासी ग्राम दुधेमई सलेमपुरी, कायमगंज, जनपद-फतेहगढ वर्तमान-पता किरायेदार यामीन का मकान निकट सुल्तान चौक, हिन्डन विहार, थाना नन्दग्राम गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-06 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 07.02.2026 को धारा-302 भादवि में आजीवन कारावास व 01 लाख रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा-323 भादवि में 01 वर्ष का कठोर कारावास व 01 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा-506 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

वादी की बहन के साथ अभियुक्त द्वारा मारपीट कर गला रेतकर उसकी हत्या कर देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 28.11.2021 को थाना नन्दग्राम पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।